



उत्तर प्रदेश बावर कारपोरेशन लिमिटेड  
(गोव्य सरकार का उपकार)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001, फोन- 0522-2287805, फैक्स-0522-2287708  
संख्या: 51/निर्देशक/28/2017/सीए-आडिट

CIN-U32201UP1999SGC024928

दिनांक: फरवरी 03, 2018

प्रदेश निदेशक,  
पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल  
विद्युत वितरण निगम लिंग/केस्को,  
मेरठ/वाराणसी/आगरा/लखनऊ/कानपुर।

विषय: आन्तरिक सम्प्रेक्षा कार्य हेतु फर्मों का चयन करने के लिये मानक गाइडलाइन्स।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिंग के निदेशक मण्डल की दिनांक 19 सितम्बर 2017 को सम्पन्न बैठक में  
लिये गये निर्णय के अनुपालन में सभी डिरकाम्स की आन्तरिक सम्प्रेक्षा कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं अग्रेतर  
वर्षों में फर्मों का चयन करने हेतु गठित समिति द्वारा संस्थान एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित मानक गाइडलाइन्स  
संलग्न करते हुये यह अनुशंसा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं अग्रेतर वर्षों में आन्तरिक सम्प्रेक्षा हेतु फर्मों का चयन  
संलग्न गाइडलाइन्स के अनुसार सुनिश्चित करायें।

आन्तरिक सम्प्रेक्षा हेतु चयनित फर्मों एवं दिये जाने वाले सम्प्रेक्षा शुल्क को पूर्व की भौति वितरण कम्पनी के  
निदेशक मण्डल से अनुमोदित कराया जायेगा।

संलग्न : ५००५३१

\_\_\_\_\_  
(सुधांशु द्विवेदी)  
निदेशक (वित्त)

संख्या: संख्या: 51/निर्देशक/28/2017/सीए-आडिट तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 निदेशक (वित्त), पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिंग, मेरठ/  
वाराणसी/आगरा/लखनऊ।
- 2 उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) कंस्को, कानपुर।

\_\_\_\_\_  
(सुधांशु द्विवेदी)  
निदेशक (वित्त)

दिनांक 19.12.2017 को आगरा डिस्काउंट की निदेशक मण्डल की समन्वयित्री में हुई बैठक के अनुपालन में डिस्काउंट की आंतरिक सम्पेता कार्य हेतु नियम पर्य 2016-19 पर अधिकार यह है कि यह कर्मों का चयन एवं मानक गाइडलाइन्स हेतु पठित समिति की ओच्चा/कामिला।

1. निदेशक मण्डल की बैठक का नियम “नियम पर्य 2016-19 पर अधिकार यह है कि डिस्काउंट की आंतरिक सम्पेता कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउंटेन्ट या उन्हें जिन विभिन्न गाइडलाइन्स बनाने हेतु प्रकार निदेशक पाकालि, निदेशक नियम (नियम) विविनिलि की एक समिति बनाने का नियम लिया गया।”

2. कम्पनीज एकट 2013 की धारा 138 (1) में वितरण कम्पनियों एवं उत्पादकों की अणी-3 कम्पनियों के लिए आंतरिक सम्प्रेषकों की नियुक्तियों/प्रक्रिया का प्राक्षिक नियम है:-

#### **Rule 13(1) of Companies (Accounts) Rules 2014**

- Person to be appointed as internal auditor shall either be a chartered accountant or a cost accountant, or such other professional as may be decided by the board. Internal auditor may or may not be an employee of the company. Chartered accountants mean a chartered accountant whether engaged in practice or not. (Section 138(1) and explanation to rule 13(1) of Companies (Accounts) Rules 2014).
- Internal Auditor cannot be appointed by the Board by passing a resolution by circulation. (Section 179 (3) (k) and Rule 8(4) of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014).
- Statutory Auditor shall not be appointed as Internal Auditor of the Company. (Section 144(a)).

The following procedure is to be followed for Appointment of an Internal Auditor and conduction of Internal Audit of a Company under Section 138 read with Rule No. 13 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 :-

- 1- Ensure that internal auditor proposed to be appointed shall either be a chartered accountant or a cost accountant, or such other professional as may be decided by the Board to conduct internal audit of the functions and activities of the company. [Section 138(1)]. The person so proposed to be appointed as internal auditor may or may not be the employee of the company.
- 2- Obtain written consent and a certificate from the proposed internal auditor to the effect of his eligibility under the Act.
- 3- Issue not less than 7 days notice and agenda of Board meeting, or a shorter notice in case of urgent business, in writing to every director of the company at his address registered with the company and call a Board Meeting to appoint an Internal Auditor of the company and to fix his remuneration. [Section 173(3)].

Also follow the procedure prescribed for issuing and signing of notice of Board Meeting.

4. Hold a meeting of Board of Directors -
  - To pass the necessary Board Resolution for the appointment of an internal auditor of the company and to fix his remuneration.

- To authorize Company Secretary or any Director to sign and file the relevant form with Registrar of Companies and to do such acts, deeds and things as may be necessary to give effect to the Board's decision.
5. Prepare and circulate draft minutes within 15 days from the date of the conclusion of the Board Meeting, by hand/speed post/registered post/courier/e-mail to all the Directors for their comments. Also follow the procedure prescribed for preparing, circulation, signing and compiling of Board Minutes. (Secretarial Standards-1).
  6. In case of a public company, file a certified copy of the Board resolution approving the appointment of an internal auditor with the registrar in Form No. MGT. 14 under Section 117 of the Act along with fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014 within 30 days of passing Board Resolution. [Section 117(3)(g), 179 (3)(k) and Rule 8(4) of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014].

[A Private Company is not required to file MGT-14.]

7. Issue the appointment letter to the concerned Internal Auditor.
8. In case of companies which are required to constitute an Audit Committee under section 177, the Audit Committee of the company shall and in other companies the Board shall, in consultation with the Internal Auditor, formulate the scope, functioning, periodicity and methodology for conducting the internal audit of the Company. [Rule 13(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014].
9. The Central government may make rules to prescribe the manner and the intervals in which the internal audit shall be conducted and reported to the Board. [Section 138(2)]

उपर्युक्त प्राविधान के अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा कॉस्ट एकाउन्टेन्ट अथवा अन्य व्यवसायिक को आंतरिक सम्प्रेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का तात्पर्य ऐसे प्रोफेशनल्स/फर्म से है जिसके पास Institute of Chartered Accountant of India, New Delhi की उपाधि प्राप्त हो। कॉस्ट एकाउन्टेन्ट का तात्पर्य ऐसे प्रोफेशनल्स/फर्म से है जिसके पास Institute of Cost Accountants of India, Kolkata की उपाधि प्राप्त हो तथा प्रोफेशनल/फर्म का पंजीकरण तदनुसार पंजीकृत भी हो।

3. वर्तमान में उप्रपाकालि एवं वितरण कम्पनियों में आंतरिक सम्प्रेक्षा हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म्स को सूचीबद्ध करते हुए आंतरिक सम्प्रेक्ष का कार्य निर्धारित टीओआर के अनुसार कराये जाने की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रभावी/विद्यमान है।

4. वर्ष 2012–13 से व्यवस्था विकेन्द्रीकृत किये जाने के फलस्वरूप आन्तरिक सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति / एम्प्यूनेलमेन्ट प्रक्रिया संबंधित वितरण कम्पनी अपने स्तर से सम्पादित कर रही हैं तथा यथा आवश्यक अपने निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यवाही सम्पादित कर रही हैं।

5. आंतरिक सम्प्रेक्षा एक विधिक आवश्यकता है साथ ही इसकी गुणवत्ता निगम की कार्य प्रणाली को दुर्लक्ष एवं सुदृढ़ करने में सहायक होती है तथा सांविधिक/वैधानिक सम्प्रेक्षकों व भास्तुतेखाकार की सम्प्रेक्षा में लेखों के प्रस्तुतिकरण में एक महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है अतः यह आवश्यक है कि आंतरिक सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति में ऐसे एकाउन्टिंग प्रोफेशनल्स/फर्मों को नामित व सूचीबद्ध किया जाए जिनकी कार्यकुशलता एवं अनुभव उक्त कार्य हेतु पर्याप्त एवं पूर्ण हो।

6. बर्तमान में डिस्काम्स में रथापित होने के 6 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूर्ण करने वाली फर्मों को सूचीबद्ध किये जाने की प्रक्रिया है। इस अवधि को उचित एवं ठीक मानते हुए यथावत् रखा जाना प्रस्तावित है अर्थात् ऐसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/ कॉस्ट एकाउन्टेन्ट फर्मों जिनको स्थापना के बाद 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, आंतरिक सम्प्रेक्षकों की सूचीबद्धता हेतु अह मानो जाएंगी।

7. फर्मों की वरीयता : फर्म की स्थापना अवधि के वर्षों को भी तदनुसार वरीयता हेतु प्रभाव में लिया जायेगा साथ ही ऐसी ऑडिट फर्म जिसमें 5 या अधिक पार्टनर हैं उनको भी वरीयता दी जायेगी। ऐसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/ कॉस्ट एकाउन्टेन्ट फर्म जिनको आंतरिक सम्प्रेक्षा का पर्याप्त अनुभव हो तथा ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों/वितरण कम्पनियों का अनुभव होगा उनको इम्पैनेलमेन्ट में उचित वरीयता प्रदान की जाएगी।

8. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मस/कॉस्ट एकाउन्टेन्ट फर्म्स से प्रस्ताव पत्र उनके प्रोफाइल के रूप में प्राप्त करने हेतु दोनों संस्थानों के रीजनल काउन्सिल अथवा ब्रान्च यथायोज्य को यथानुसार सूचना एवं जनपद/शहर के नाम के साथ आवश्यकता प्रेषित करते हुए प्राप्त किया जाना विचारणीय है। प्रोफाइल संबंधित फर्म सीधे कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत करेगी।

9. पूर्व में सूचीबद्ध ऐसी फर्म जिनके कार्य प्रतिवेदन प्रतिकूल रहे हैं अथवा जिनके द्वारा आवंटित कार्य का सम्पादन नहीं किया गया है अथवा स्वीकार्य नहीं किया गया है, को आगामी इम्पैनेलमेन्ट से बाहर किया जाना भी प्रस्तावित है।

10. आंतरिक सम्प्रेक्षा में पूर्णतः व्यवसायिक ज्ञान का लाभ निगमों को प्राप्त हो इस हेतु फर्मों के कार्यालय/इकाइयां आवंटन को प्रतिवर्ष चक्रीय क्रम में परिवर्तित कराया जाना होगा जिससे एक फर्म की सम्प्रेक्षा के छूटे हुए पहलू दूसरी फर्म की सम्प्रेक्षा में अवश्य रूप से समायोजित हो सके साथ ही नामित फर्मों के मध्य एक स्वरक्ष व्यवसायिक कुशलता की प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

11. जिस जनपद/शहर के लिए आंतरिक सम्प्रेक्षकों की आवश्यकता है उसी जनपद/शहर के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कॉर्स्ट एकाउन्टेन्ट फर्मों को नामित किया जाना प्रस्तावित है जिससे आंतरिक सम्प्रेक्षकों की सेवाएँ पूर्णता में प्राप्त हो तथा इस हेतु कोई टीए/डीए जैसा अतिरिक्त व्यय भी न करना पड़े **अर्थात् व्यय सम्बद्ध जीरो (ZERO)** टीए के अधार पर आंतरिक सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति पूर्व की भाँति किया जाना प्रस्तावित है।

12. कम्पनीज ऐकट की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म/कॉर्स्ट एकाउन्टेन्ट फर्म साविधिक सम्प्रेक्षक (Statutory Auditors) की नियुक्ति प्राप्त करता है तो उस दशा में उक्त फर्म आंतरिक सम्प्रेक्षक (Internal Auditors) को नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा। उक्त फर्म को एक ही क्षमता में कार्य स्वीकार्य करना होगा।

13. खण्डों एवं कार्यालयों को कार्य परिमाण के अनुसार सम्प्रेक्षा शुल्क हेतु निम्नवत् श्रेणीकृत किया गया है:-

श्रेणी	इकाई एवं कार्यालय का नाम
A	कम्पनी मुख्यालय/विद्युत वितरण खण्ड (शहरी/शानीज) एवं समकक्ष इकाईयों।
B	विद्युत भण्डार खण्ड, द्वितीय कार्य खण्ड/कार्यशाला खण्ड/विद्युत परीक्षण खण्ड/जानपद वितरण खण्ड/विद्युत परीक्षण खण्ड/ताज ट्रेपेजियम खण्ड/जानपद खण्ड, विद्युत निर्माण खण्ड एवं अन्य समकक्ष इकाईयों।
C	मुख्य अभियन्ता कार्यालय/मुख्य अभियन्ता (वितरण कार्यालय/परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण/सामग्री प्रबन्ध)/विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत भण्डार मण्डल/जानपद मण्डल/कार्य मण्डल/सी०३०४०५०० इकाई/ताज ट्रेपेजियम मण्डल/मुख्य अभियन्ता (नियोजन)/(सामग्री प्रबन्ध)/डिजाइन एवं अन्य समकक्ष इकाईयों

14. आंतरिक सम्प्रेक्षा के शुल्क के लिए वर्तमान में प्रभावी दरों को संज्ञान में लिया गया है, तथा आन्तरिक सम्प्रेक्षा की गुणवत्ता प्रभावशीलता हेतु पूर्व प्रभावी दर में महंगाई के सापेक्ष प्रासांगिक वृद्धि निम्नवत् प्रस्तावित हैं-

श्रेणी	इकाईयाँ	वर्तमान फीस की धनराशि	प्रस्तावित फीस की धनराशि
A	निगम मुख्यालय/अधीक्षण अभियन्ता (मु०) एवं सभी विद्युत वितरण खण्ड।	25000/-	30000/-
B	विद्युत परीक्षण खण्ड/विद्युत जानपद खण्ड/विद्युत भण्डार खण्ड/कार्यशाला/कार्य खण्ड आदि।	15000/-	20000/-
C	मुख्य अभियन्ता/परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय/सभी मण्डल कार्यालय/कम्प्यूटर वितरिंग सेन्टर आदि।	7500/-	10000/-

नोट: सम्प्रेक्षा शुल्क टी०५०/डॉ०५० सहित अधोत कोई अतिरिक्त टी०५० व डॉ०५० देय नहीं होगा।

15. उपर्युक्त गाइडलाइन्स मानक के रूप में प्रभावी होगी परन्तु कम्पनी विशेष की अपनी व्यक्तिगत कार्य स्थिति के अनुसार वितरण कम्पनी के लेखा प्रमुख/निदेशक (वित्त)/प्रबंध निदेशक मानकों को तदनुसार Customize करने के लिए अधिकृत होंगे।

JN  
(क० स०० पाण्ड्य)  
निदेशक (वित्त), दविविनिलि

सुधाशुद्धिवदी  
निदेशक (वित्त), उप्रपाकालि

D. P. Sharma  
प्रबंध निदेशक  
उप्रपाकालि